कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–शिविरा–माध्य/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांकः 29.09.2019 के तहत श्रीमती मीना गुप्ता, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानान्तरण राउमावि, नवीन अलवर से राउमावि, भीमराज बर्डोद, बहरोड़, अलवर किया गया।

उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व श्रीमती मीना गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3082/2019 मीना गुप्ता बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3082/2019 माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांकः 24.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थिया श्रीमती मीना गुप्ता के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानन्तरण आदेश दिनांकः 29.09.2019 की याचिकार्थिया के संबंध में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्रीमती मीना गुप्ता को राउमावि, नवीन अलवर में कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जाती है। **उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगे।**

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ/जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20/5 दिनांक– 31/10/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विभाग जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य)।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।
9. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्पयुटर अनुभाग।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

144# 002 order_ aug19 c-1(4) cbh